श्री विजय गोयल, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण तथा माननीय राज्य मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए विशेष समिति की दिनांक 9 नवंबर, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 11 वीं बैठक के कार्यवृत्त

श्री विजय गोयल, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण तथा माननीय राज्य मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता वाली नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए विशेष समिति की 11 वीं बैठक 9 नवंबर 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 14:30 बजे आयोजित की गई। श्री नरोत्तम मिश्रा, माननीय जल संसाधन मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार; श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई, उत्तर प्रदेश; तेलंगाना मंत्रिमंडल के विशेष प्रतिनिधि श्री एस. वेणुगोपाल चारी और बैठक में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार संगठनों के विभिन्न सदस्यों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों और प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-I में रखी गई है।

प्रारंभ में, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण ने राज्य सरकारों के माननीय जल संसाधन/सिंचाई मंत्री और बैठक में विशेष समिति के सभी सदस्यों और प्रतिभागियों को उत्साहपूर्वक से स्वागत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि देश के जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और जल, सूखा प्रवण और वर्षायुक्त खेती क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने में बहुत मददगार होगा। भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों की मतैक्यता और सहयोग के साथ नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में विभिन्न स्वीकृति, चरण-I प्रसंस्करण के उन्नत चरण में हैं। अगस्त-2015 में रा.ज.वि.अ. द्वारा पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पूरी की गई थी और गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों को प्रस्तुत कर दी गई थी.। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लिंक नहर के दायीं ओर स्थित मार्ग के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार की टिप्पणियों पर विचार कर संशोधन के तहत है। उन्होंने संकेत दिया कि जल के बंटवारे के मुद्दे पर रा.ज.वि.अ. के अधिकारियों और दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाओं के संबंध में गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों के बीच चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित लिंक परियोजनाओं के तहत जल साझाकरण से संबंधित मुद्दों को हल करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए कार्यबल विस्तारपूर्वक सभी प्रासंगिक मुद्दों की जांच कर रहा है और लिंक परियोजनाओं पर राज्यों के मध्य तेजी से आम मतैक्यता स्थापित करने में मदद करेगा। कार्यबल बेसिन में 'अधिशेष जल' के मुद्दे की भी जांच कर रहा है।

माननीय राज्य मंत्री (केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने इसके बाद, राज्य सरकारों के माननीय मंत्री जल संसाधन/सिंचाई से अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुरोध किया।

मध्य प्रदेश :

मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा ने केन-बेतवा लिंक परियोजना (चरण-I) के प्रस्ताव में तेजी लाने में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की पहल का समर्थन किया और इसमें पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। माननीय मंत्री ने निचला ओर बांध, बीना परियोजना और कोठा बैराज आदि परियोजना के चरण –II में विशेष समिति के सैद्धांतिक स्वीकृति देने कि प्रार्थना की है। उन्होंने उल्लेख किया कि निचला ओर बांध की पर्यावरण स्वीकृति पहले से ही उपलब्ध है और इसके वन स्वीकृति हेतु, वन स्वीकृति समिति (एफएसी) द्वारा 10 नवंबर, 2016 को होने वाली अपनी अगली बैठक में पर विचार करने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश :

श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय कृषि राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ने कहा कि 2005 में केन-बेतवा लिंक के डीपीआर

पर हस्ताक्षर किए गए और केन-बेतवा लिंक परियोजना का डीपीआर 2008 में तैयार किया गया था। माननीय मंत्री की इच्छा परियोजना की संशोधित लागत और परियोजना की लागत को साझा करने में उत्तर प्रदेश राज्य के हिस्से को जानना चाहते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य ने पहले ही 1447 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत कर ली है और शेष जमीन (1050 हेक्टेयर) का अधिग्रहण खरीदी द्वारा किया जाना है। उन्होंने अनुरोध किया कि परियोजना के चरण-I के लाभ उ०प्र० और एम.पी. दोनों राज्यों को बताये जाने चाहिए। और चरण- II को चरण-I के लाभ के बाद लिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री ने अनुरोध किया कि एनपीपी के तहत अन्य लिंक पर कार्रवाई की जाए जो उ०प्र० राज्य को लाभ पहुंचाए, जैसे कोसी-घाघरा, गंडक-गंगा, घाघरा-यमुना आदि।

तेलंगाना :

तेलंगाना सरकार के विशेष प्रतिनिधि, डॉ एस एस वेणुगोपाल चारी ने नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं के लिए 120 मीटर की सीमा से अधिक बढ़ाने के संबंध में तेलंगाना के अनुरोध पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए नदियों और रा.ज.वि.अ. के बीच में जोड़ने वाले कार्यबल का धन्यवाद किया। उन्होंने तेलंगाना के इस रुख को दोहराया कि जल संतुलन अध्ययन हेतु दिशानिर्देशों के लिए नदी घाटियों को दो श्रेणियों में बाँटा जाना चाहिए - जैसे (i) वे घाटियों जो कि न्यायाधिकरण निर्णय के अंतर्गत आती हैं; और (ii) वे घाटियों जहां कोई न्यायाधिकरण निर्णय के अंतर्गत नहीं हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि तेलंगाना में मुख्य रूप से दो नदियों है, जो कि कृष्णा और गोदावरी हैं, और इन दोनों नदी घाटियों के जल का वितरण संबंधित न्यायाधिकरण निर्णयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए तेलंगाना नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य/बेसिन के बाहर व्यपवर्तनने पर अतिरिक्त जल बचाने में सक्षम होगा यदि न्यायाधिकरण निर्णयों के अनुसार जल राज्य के हिस्से के उपयोग के बाद इन दोनों नदी घाटियों में जल अधिशेष पाया जाता है।

इसके बाद महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. से चर्चा हेतु कार्यसूची मद प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

मद सं. 11.1 : नई दिल्ली में 26 जुलाई, 2016 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए विशेष समिति की दसवीं बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि

महानिदेशक ने सूचित किया कि 26 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के बीच एकजुट करने के लिए विशेष समिति की दसवीं बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को 22 अगस्त, 2016 के पत्र के माध्यम से भेजा गया था। किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। इस तरह बैठक के कार्यवृत्त को परिचालित के रूप में पुष्टि की गई।

मद सं. 11.2 : पिछली बैठक के दौरान किए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

महानिदेशक ने सूचित किया कि तकनीकी सलाहकार समिति (त.स.स.) के संशोधित दिशानिर्देश त.स.स. के सभी सदस्यों को भेजे गए थे। कृषि और किसान कल्याण, सीजीडब्ल्यूबी, एनआईएच, सीईए, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल के मंत्रालयों की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि कार्यसूची मद 11.7 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है।

मद सं. 11.3 : केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण-I - विभिन्न वैधानिक स्वीकृति की स्थिति
मद सं. 11.3.1 : पर्यावरण स्वीकृति

महानिदेशक ने कार्यसूची के अनुरूप पर्यावरण स्वीकृति की वर्तमान स्थिति को उल्लेखित किया। इस परियोजना को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने दिनांक 24-8-2015 (86 वीं), 20-10-2015 (88 वीं), 9.2.2016 (91 वीं) और 2.6.2016 (94 वीं) को आयोजित अपनी 4 बैठकों में विचार किया। पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए विचार से पहले परियोजना की वन्यजीव स्वीकृति मांगी है। अब राष्ट्रीय वन्यजीव मंडल (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति की 23.8.2016 को आयोजित 39 वीं बैठक में

परियोना की वन्य जीवन अनुमति के समझौते के प्रस्ताव पर सहमति हुई है और सिफारिश की गई है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अब अगली बैठक में पर्यावरण स्वीकृति के लिए परियोजना पर विचार करे।

मद सं. 11.3.2 : वन्यजीव अनुमति

महानिदेशक ने सूचित किया कि कि प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अपनी 39 वीं बैठक में एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया था। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और इस परियोजना के साथ वन्य जीवन निकासी के समझौते की अनुशंसा की गई कि पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान परियोजना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के नेतृत्व में अंतिम रूप दिया जाएगा, जो कि वन्यजीव संस्थान, देहरादून, राज्य वन विभाग और परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सहायता प्रदान करेगा। यह सूचित किया गया कि भूमि प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए डब्ल्यूआईआई, देहरादून के लिए काम प्रदान किया जाना प्रक्रियाधीन था।

मद सं. 11.3.3 : वन भूमि के लिए व्यपवर्तन अनुमति

महानिदेशक ने कार्यसूची के अनुसार वनभूमि व्यपवर्तन स्वीकृति की वर्तमान स्थिति को सूचित किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के निर्देशानुसार वन भूमि का स्थल सत्यापन 3 से 5 नवंबर, 2016 के मध्य किया गया। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (एफएसी) द्वारा 10 नवंबर, 2016 को निर्धारित बैठक में विचार किया जाएगा।

मद सं. 11.3.4 : जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) से स्वीकृति

महानिदेशक ने सूचित किया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में अनुसूचित जनजाति परियोजना प्रभावित परिवारों (एसटीपीएफ) के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आरएंडआर) योजना के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) से स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव, चरण-I 7.06.2016 को अन्य दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) , नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया था। जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) ने अपने पात्र दिनांक 14 सितंबर, 2016 के पत्र के माध्यम से कुछ टिप्पणियां कीं थी, जिनका रा.ज.वि.अ. द्वारा दिनांक 22 सितंबर, 2016 के पत्र के द्वारा उत्तर दिया गया है। इस संबंध में एमओटीए की स्वीकृति जल्द ही शीघ्र मिलने कि संभावना है।

मद सं. 11.3.5 : तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने उल्लेख किया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना-चरण-I पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर सलाहकार समिति द्वारा 8 जुलाई 2016 को आयोजित 12 नवमी बैठक में विचार किया गया, जिसकी अध्यक्षता बहुउद्देशीय परियोजनाओं के सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने की थी। सलाहकार समिति ने परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जो पर्यावरण निकासी, वन्यजीव स्वीकृति, वन भूमि का परिवर्तन और एमओटीए से परियोजना प्रभावित आदिवासी आबादी के लिए आरएंडआर योजना की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

उक्त विवरण समिति द्वारा संज्ञान में लिए गए।

मद सं. 11.4 : केन-बेतवा लिंक परियोजना चरण- II - डीपीआर की वर्तमान स्थिति मद मद सं. 11.4.1 : निचला ओर बांध के पर्यावरणीय निकासी

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने कार्यसूची के अनुसार निचला ओर बांध कि पर्यावरण स्वीकृति पर वर्तमान स्थिति

कि जानकारी दी। ईएसी ने पर्यावरण संरक्षण के इस परियोजना प्रस्ताव कि सिफारिश अपनी दिनांक 2-5-2016 को हुई 93 वीं बैठक में की है । उन्होंने उल्लेख किया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन ने रा.ज.वि.अ. को चरण-I वन स्वीकृति की एक प्रति, पर्यावरण स्वीकृति के लिए ईएसी की सिफारिशों के विचार हेतु प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

मद सं. 11.4.2 : निचला ओर बांध हेतु वन स्वीकृति.

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने कार्यसूची के अनुसार निचला ओर बांध की वन स्वीकृति की वर्तमान स्थिति कि जानकारी दी। प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, म.प्र. सरकार ने सूचित किया कि एफएसी द्वारा अनुरोधित अतिरिक्त जानकारी 3 नवंबर, 2016 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन को प्रदान कर दी गई है। चरण-I के वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर एफएसी द्वारा अगली बैठक विचार किया जाना है जो 10 नवंबर 2016 को आयोजित होने वाली है।

मद सं. 11.5 : दमनगंगा-पिंजल और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजनाएं - डीपीआर की वर्तमान स्थिति

मद सं. 11.5.1 : दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना

पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजल परियोजनाओं पर पूर्व बैठकों के निर्णय के संदर्भ में रा .ज.वि.अ. के महानिदेशक ने बताया कि दोनों परियोजनाओं में जल बंटवारे के मुद्दे पर दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के स्तर पर पहले विचार-विमर्श किया जाएगा। दोनों राज्यों की सुविधा के अनुसार शीघ्र ही बैठक आयोजित की जाएगी।

मद सं. 11.5.1 : वनभूमि व्यपवर्तन स्वीकृति

यह सूचित किया गया कि 30 जून 2016 को दमनगंगा-पिंजल लिंक के संबंध में वनभूमि व्यपवर्तन स्वीकृति के प्रस्ताव को ग्रेटर मुंबई महानगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन को 30 जून 2016 को सौंप दिया गया था।

मद सं. 11.5.1.2 : जनजातीय मामलों के मंत्रालय से स्वीकृति (एमओटीए)

यह सूचित किया गया था कि परियोजना प्रभावित अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आरएंडआर) योजना, भारत सरकार के **जनजातीय मामलों के मंत्रालय** (एमओटीए) से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव ग्रेटर मुंबई महानगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा जनजातीय मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 30 जून, 2016 को को प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्ताव एमओटीए में विचाराधीन है।

मद सं. 11.5.1.3 : तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि बाढ़ नियंत्रण एवं बहु-परियोजना परियोजनाओं की सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना पर सचिव जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अध्यक्षता में दिनांक 8 जुलाई, 2016 को आयोजित 12 नवमी बैठक में विचार किया गया एवं तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कि जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन से वनभूमि व्यपवर्तन स्वीकृति एवं **जनजातीय मामलों के मंत्रालय** (एमओटीए) से जनजातीय आबादी हेतु आरएंडआर पैकेज के लिए स्वीकृति के अधीन होगा।

मद क्रमांक 11.5.2 : पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के डीपीआर संशोधन पर गुजरात सरकार के टिप्पणियों तहत विचार किया जा रहा है। पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के डीपीआर पर

महाराष्ट्र सरकार की टिप्पणियां अभी भी प्रतीक्षा में हैं। महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि से अनुरोध किया गया था कि वे इस तरह शीघ्र कार्यवाही करें। उन्होंने पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना के डीपीआर पर अपनी टिप्पणियों शीघ्र प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।

मद 11.5.1 में उल्लेखित पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजल परियोजनाओं के संबंध में जल बँटवारे के मुद्दे पर पहले महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर चर्चा की जाएगी। दोनों राज्यों की सुविधा के अनुसार शीघ्र ही बैठक आयोजित की जाएगी।

मद सं. 11.6 : महानदी-गोदावरी लिंक का प्रणाली अनुकरण अध्ययन

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बताया कि प्रस्तावित महानदी-गोदावरी लिंक के लिए जलविज्ञान अध्ययन और बहु जलाशय अनुकरण पर मसौदा प्रतिवेदन एनआईएच द्वारा संशोधित किया गया और जुलाई 2016 को रा.ज.वि.अ. को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन पर ओडिशा सरकार की टिप्पणियों के साथ प्रणाली अध्ययन पर उप-समिति ने 30.08.2016 को हुई नवमी बैठक के दौरान चर्चा की। यह निर्णय लिया गया कि ओडिशा सरकार की टिप्पणियों एवं उप-समिति के सुझाव पर और विचार कर एनआईएच द्वारा इस अध्ययन को और संशोधित/निर्धारित किया जाएगा। अपेक्षित डेटा रा.ज.वि.अ. द्वारा पहले ही एनआईएच, रुड़की दिया जा चुका है और अध्ययन संशोधन के तहत है।

ओडिशा सरकार की टिप्पणियों के साथ संशोधित प्रतिवेदन पर अगली बैठक में प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति द्वारा विचार किया जाएगा। इसके पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन नदियों के अंतर्योजन की परियोजना की विशेष समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने एनआईएच द्वारा किए गए अध्ययन की एक प्रति का अनुरोध किया क्योंकि कावेरी के जल की कमी वाले बेसिन में जल के अंतरण के लिए यह अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने संकेत दिया कि प्रणाली अध्ययन के लिए उप-समिति द्वारा एक अध्ययन को अंतिम रूप देने के पश्चात् प्रतिवेदन की एक प्रति तमिलनाडु को उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री एम. गोपालकृष्णन ने उल्लेख किया कि महानदी बेसिन में जल अधिशेष नहीं होने पर भी, इस लिंक को दक्षिण-पश्चिमी राज्यों में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी तक नीचे स्थानांतरित करने से हिमालय के घटक ब्रह्मपुत्र का जल मिल जाएगा।

ओडिशा सरकार के प्रतिनिधि ने अध्ययन में सम्पूर्ण आंकड़े के उपयोग के बारे में आशंका व्यक्त की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनका राज्य हिमालय की नदियों के महानदी बेसिन को जल के हस्तांतरण के प्रस्ताव से अवगत नहीं था। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने स्पष्ट किया कि इस पहलू कि जानकारी ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री को दी गई थी, जब फरवरी, 2016 में उनके सामने लिंक पर एक प्रस्तुति दी गई थी।

केरल के प्रतिनिधि ने कहा कि जल के अंतर-बेसिन हस्तांतरण के प्रस्तावों की योजना के दौरान राज्यों के व्यक्तिगत हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मद सं. 11.7 : नदियों के बीच में जोड़ने के लिए नदी के बेसिन में अधिशेष जल

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि त.स.स. के मसौदे के दिशानिर्देश रा.ज.वि.अ. ने त.स.स. के सदस्यों और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार संगठनों की टिप्पणियों पर विचार करते हुए , नदी के बेसिन में जल के संतुलन का अध्ययन करने के लिए संशोधित किया है, जिस पर नदियों का अंतर्योजन की दिनांक 25 अक्टूबर 2016 को आयोजित पाँचवीं बैठक में अंतिम रूप से कार्य दल द्वारा चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि अंतिम रूप देने के बाद, इन दिशानिर्देशों को नदियों के अंतर्योजन की परियोजना अनुमोदन हेतु विशेष समिति के समक्ष रखा जाएगा।

तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि नदियों का अंतर्योजन परियोजनाओं के लिए योजना के

दौरान बेसिन की जल संसाधन उपलब्धता का मूल्यांकन करने में भूजल शामिल नहीं किया जाना चाहिए और इसे राज्यों के अपनी योजना के अनुसार उपयोग हेतु छोड़ दिया जाना चाहिए। केरल सरकार के प्रतिनिधि का मानना था कि भूजल का मूल्यांकन बिना जल की उपलब्धता पर विचार किए बिना नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त स्थिति का समिति के सदस्यों द्वारा संज्ञान लिया गया।

मद सं. 11.8 : अंतरा-राज्य लिंक प्रस्तावों की स्थिति

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने संक्षेप में कार्यसूची में दिए गए अंतरा-राज्य लिंक की वर्तमान स्थिति को सूचित किया। तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने तमिलनाडु के पौन्नैयार-पलार अंतरा-राज्य लिंक के डीपीआर को पूरा करने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की और प्रतिवेदन की एक प्रति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया।

केरल सरकार के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि कर्नाटक राज्य द्वारा प्रस्तावित बारापोल- ऊपरी कावेरी अंतरा-राज्य लिंक एक अंतरा-राज्य लिंक नहीं था और लिंक परियोजना की समीक्षा करने का अनुरोध किया।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सूचित किया कि किसी भी अंतरा-राज्य लिंक के डीपीआर को संबंधित राज्यों की मतैक्यता से ही लिया जाएगा।

कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि ईआईए अध्ययन के लिए संदर्भ की शर्तें, बेद्ती-वरदा लिंक को स्वीकृति के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित निम्न अंतरा-राज्य लिंक को छोड़ने का अनुरोध किया :

I. पश्चिमी वाह्य नदियों की योजनाओं का व्यपवर्तन (बारापोल-ऊपरी कावेरी लिंक)
ii. भद्रा - वेदवती (वाणी विलास सागर) लिंक

मद सं. 11.9 : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का पुनर्गठन

यह सूचित किया गया था कि पुनर्गठन के लिए उप-समिति की प्रतिवेदन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (उप-समिति- III) को प्रस्तुत किया गया था जो सितंबर, 2015 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को सौंपा गया। 30 मई, 2016 को माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) के समक्ष "रा.ज.वि.अ. के पुनर्निर्माण" पर एक प्रस्तुति दी गई थी। प्रस्तुत करने के बाद माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने तत्काल रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन हेतु जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को निर्देश दिया। मंत्रालय में रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन की प्रतिवेदन विचाराधीन है।

पुनर्निर्माण पर उप-समिति के अध्यक्ष श्री गोपालकृष्णन ने उल्लेख किया कि रा.ज.वि.अ. को सौंपा गया कार्य बहुत विशाल है और जब तक रा.ज.वि.अ. का तुरंत पुनर्गठन नहीं होता, संगठन अपेक्षित तरीके से अपने कामों को पूरा नहीं कर सकता है।

मद सं. 11.10 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति के साथ कोई अन्य मद

श्री महाराज के. पंडित ने सुझाव दिया कि जब भी किसी नदियों का अंतर्योजन परियोजना को बैठक के कार्यसूची में शामिल किया जाए तो एक पृष्ठ नोट जिसमें परियोजना का मुख्य विवरण हो और सूचकांक नक्शा भी कार्यसूची टिप्पण से संलग्न हो।

डॉ० अमरजीत सिंह, ओएसडी (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने उल्लेख किया कि माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) समिति की समय-समय पर बैठक में विशेष रूप से रुचि लेती हैं। उसके निरंतर मार्गदर्शन और केन-बेतवा लिंक परियोजना की निगरानी के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन उन्नत में है। उन्होंने आगे बताया कि नदियों के अंतर्योजन की परियोजना पर कार्यबल ने प्राथमिकता पर पहले केन -

बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए सुझाव दिया था। उन्होंने उल्लेख किया कि पार-तापी-नर्मदा लिंक और दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजनाओं के डीपीआर रा.ज.वि.अ. द्वारा पूरा कर लिया गया हैं और उनकी विभिन्न स्वीकृति पाने की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि माननीय मंत्री इन दोनों परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दोनों राज्यों (महाराष्ट्र और गुजरात) से समझौते के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने हिमालयी नदियों के जल के व्यपवर्तन, जहाँ जल बहुतायत में उपलब्ध है, के संबंध में श्री गोपालकृष्णन के निरीक्षण की सराहना की।

बैठक का समापन करते हुए, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा माननीय राज्य मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) ने उल्लेख किया कि नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय हित में है। कार्यक्रम को सर्वसम्मति के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा और राज्यों पर इसका कुछ भी भार नहीं होगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन हुआ।

****

अनुलग्नक-I

09.11.2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के लिए विशेष समिति की 11 वीं बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और सहभागियों की सूची

1.	श्री विजय गोयल माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री नरोत्तम मिश्र माननीय मंत्री (जल संसाधन), म०प्र० सरकार, भोपाल	सदस्य
3.	श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री (सिंचाई), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	सदस्य
4.	डॉ० एस. वेणुगोपाल चारी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं प्रतिनिधि तेलंगाना सरकार, हैदराबाद	तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व
5.	श्री आर,एस, प्रसाद, से.नि. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
6.	प्रो० महाराज के. पंडित, डीन, विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री पवन कुमार, सलाहकार, मुख्य सलाहकार (लागत) का कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्री प्रदीप जेना, मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, सरकार ओडिशा, भुवनेश्वर	ओडिशा सरकार का प्रतिनिधित्व
9.	श्री पंकज अग्रवाल मुख्य सचिव (जल संसाधन विभाग), म०प्र० सरकार, भोपाल	म.प्र. सरकार का प्रतिनिधित्व

10. श्रीमती टिंकू बिस्वाल, सदस्य
सचिव (जल संसाधन विभाग), सरकार केरल,
तिरुवनंतपुरम

11. श्री गुरुपादस्वामी बी.जी., सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु	मुख्य सचिव (जल संसाधन विभाग) कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व
12. श्री सी.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ का प्रतिनिधित्व
13. डॉ एस केरकेट्टा, निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व
14. श्री आर सुब्रमण्यम, अध्यक्ष, कावेरी तकनीक सेल आईएसडब्ल्यूडब्ल्यू, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई	मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी, तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व
15. श्री के.बी. रबादिया मुख्य अभियंता (एसजी) अपर सचिव (जल संसाधन विभाग), गुजरात सरकार, गांधीनगर	मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर का प्रतिनिधित्व
16. श्री अविनाश मिश्रा, संयुक्त सलाहकार, नीति आयोग	सदस्य (कृषि), नीति आयोग, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व
17. श्री विराग गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, नई दिल्ली	सदस्य
18. श्री श्रीराम वेदिरे, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सलाहकार, एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, नई दिल्ली	सदस्य
19. श्री जयंत कु. रे अपर आवासीय आयुक्त, पुदुचेरी सरकार, नई दिल्ली	सचिव, पीडब्ल्यूडी, पुदुचेरी सरकार का प्रतिनिधित्व
20. श्री अनिल कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व
21. श्री अशोक राम, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार, रांची	मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार का प्रतिनिधित्व
22. श्री एच.ए. धंगारे, मुख्य अभियंता (डब्ल्यूआर) और संयुक्त सचिव महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई	मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व
23. श्री एस. नरसिंह राव, मुख्य अभियंता (आईएसडब्ल्यूआर), तेलंगाना सरकार, हैदराबाद	मुख्य सचिव, सिंचाई एवं सीएडी, तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व
24. श्री अनिल मलिक, मुख्य अभियंता, आईएण्डडब्ल्यूआर विभाग, हरियाणा सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
25. श्री के.एस. ध्रुव, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर	मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व

26. श्री एस मसूद हुसैन, सदस्य-सचिव
महानिदेशक,
रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

विशेष आमंत्रित

27. डॉ. अमरजीत सिंह,
ओएसडी (एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर), नई दिल्ली।

28. श्री एम. गोपालकृष्णन,
विशेष समिति, नदियों का अंतर्योजन के अध्यक्ष, उप-समिति-III
और सदस्य, नदियों का अंतर्योजन के लिए कार्यबल

29. श्री ए.डी. मोहिले,
पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और
सदस्य, नदियों का अंतर्योजन के लिए कार्यबल

राज्य सरकार के अधिकारी

30. श्री राजीव कुमार सुकालिकर,
अपर सचिव, जल संसाधन विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल

31. श्री श्रीकांत निगम,
पर्यावरण सलाहकार, जल संसाधन विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल

32. श्री संजय सक्सेना,
संयुक्त निदेशक (पीआर),
मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल

33. श्री आर.के. वर्मा,
पी.एस. राज्य मंत्री, सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

34. श्री एल.एल.गुप्ता,
अभियंता-इन-चीफ (परियोजनाएं),
सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

35. श्री एस सी शर्मा,
अधीक्षण अभियंता,
सिंचाई कार्य, उत्तर प्रदेश सरकार,
झांसी

36. श्री प्रदीप यादव,
अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग,
हरियाणा सरकार, नई दिल्ली

37. श्री श्रीरामैया,
तकनीकी सलाहकार,
जल संसाधन विभाग,
कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु

38. श्री योगेश कुमार मित्तल,
कार्यपालन अभियंता,
राजस्थान सरकार, जयपुर

39. श्री आर. वेंकट रामन,

उप निदेशक (अतिरिक्त),
आईएस और डब्ल्यूआर यूनिट, आई और सीएडी,
तेलंगाना सरकार, हैदराबाद

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी

40. श्री वीरेन्द्र शर्मा,
वरि. संयुक्त आयुक्त (बीएम),
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय,
नई दिल्ली

41. श्री मनमीत सिंह,
प्रबंधक (पूर्व),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली
रा.ज.वि.अ. अधिकारी

42. श्री आर के जैन,
मुख्य अभियंता (मुख्यालय),
नई दिल्ली

43. श्री एम.के. श्रीनिवास,
मुख्य अभियंता (दक्षिण),
हैदराबाद

44. श्री एन सी जैन,
निदेशक (तक०),
नई दिल्ली

45. श्री के.पी. गुप्त,
अधीक्षण अभियंता,
नई दिल्ली

46. श्री ओ.पी.एस. कुशवाह,
अधीक्षण अभियंता,
नई दिल्ली

47. श्री मुजफ्फर अहमद,
अधीक्षण अभियंता,
पटना

48. श्रीमती जानकी विजयन,
निदेशक (एमडीयू),
नई दिल्ली

49. श्री जब्बार अली,
उप निदेशक,
नई दिल्ली

50. श्री आर.के. खर्बंध,
उप निदेशक,
नई दिल्ली।

51. श्री आर.के. शर्मा,
उप निदेशक,
नई दिल्ली

52. श्री नागेश महाजन,
उप निदेशक,
नई दिल्ली

53. श्री एम.के. सिन्हा,
वरिष्ठ सलाहकार,
नई दिल्ली

54. श्री निजाम अली,
परामर्शदाता,
नई दिल्ली।